न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 14/20 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00014)

1. अमरसिंह
2. बाबूलाल
3. शनीराम

पुत्रान श्री वेदरिया जाति धाकड निवासी ग्राम चक वीछी तहसील बयाना जिला भरतपुर।

4. किशनलाल पुत्र पप्पू जाति माली निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर।
5. प्रेमसिंह पुत्र नारायण कोम धाकड निवासी वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
6. रूपसिंह पुत्र श्री मंगल जाति बाल्मिकी निवासी ग्राम फरसो तहसील बयाना जिला भरतुपर।
7. ननकचंद पुत्र श्री कन्हैया जाति बाल्मिकी निवासी फरसो तहसील बयाना जिला भरतपुर।
8. लच्छो पत्नी पूरन जाति जाटव निवासी बरसो तहसील व जिला भरतपुर।
9. लीलावती पत्नी तेजसिंह जाति जाट निवासी नसवारा तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी बयाना पुराना मु0नं0 15/2011 नवीन नमबर 2/2016 अमरसिह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 31.10.2019 (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री गांधीदेव वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः– 15.04.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 31.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्टस की ओर से तहत अदालत के समक्ष अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया गया कि तहसील बयाना के फरसो सर्किल में ग्राम नगला वीछी व ग्राम चकवीरमपुरा की आराजी स्थित है दौराने बन्दोवस्त कर्मचारियों की सहवन से दोनों गांवो का नक्शा तेयार करते समय रेखाओं में फेरबदल कर कम व ज्यादा रेखायें नक्शा में अंकित कर दी गई है।

15.4.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

चकवीछी का रकबा हाल नक्शा के मुताबिक 6 जरीब ज्यादा बैठता है और ग्राम चकवीरमपुरा का हाल नक्शा के मुताबिक 6 जरीब कम बैठता है यदि पूर्व बन्दोवस्ती नक्शा सम्वत 1985 की रेखाओं के मुताबिक हाल नक्शा पटवार कागजात में दुरूस्त कर दिया जाये तो धरातल पर सही पैमाईश का अंकन हो जायेगा। जिसको दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन तहत अदालत उपखण्डाधिकारी बयाना द्वारा निर्णय दिनाक 30.12.2013 के द्वारा अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थीगण द्वारा गत साविक खसरा नम्बर 6 के नवीन खसरा नम्बर क्या बने हैं ? नवीन खसरा नम्बरों में कौन–कौन खातेदार है ? कोई भी रिकार्ड नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है तथा तहसीलदार बयाना ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम चकवीछी व चकवीरमपुरा के बीच सीमाओं का अन्तर भू प्रबन्ध प्रकिया के दौरान हुआ है। भूप्रबन्ध विभाग के सर्वे यन्त्रों से ही सीमाओं का अन्तर निकालना उचित रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं मानकर अपीलान्ट की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अपीलान्ट की ओर से उपखण्डाधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 30.12.2013 के खिलाफ अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पूर्व में एक अपील पेश की गई थी। जिसमें संभागीय आयुक्त भरतपुर ने निर्णय दिनांक 12.06.2015 पारित करते हुये उपखण्ड अधिकारी बयाना का आदेश दिनांक 30.12.2013 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्डाधिकारी बयाना को रिमाण्ड किया था कि वे तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में दोनों ग्रामों की सीमाओं की नियमानुसार सर्वे यन्त्रों से जांच कराकर पुनः गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्यायसंगत आदेश परित करें। उपखण्डाधिकारी बयाना के द्वारा संभागीय आयुक्त के निर्णय दिनांक 12.06.2015 की पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 पारित किया गया। जिसमें यह विवेचना की गई है कि ग्राम चकवीछी व चकवीरपुरा के दोनों ग्रामों के मध्य सीमा विवाद बढ चुका है। नवीन नक्शे से पैमाईश कराने पर दोनों ग्रामों में विवाद बढना संभव है। पुराने नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति जिला कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराई है एवं न ही कार्यालय भूप्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर में ही नक्शों की स्कैनशुदा सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में दोनों ग्रामों की सीमाओं के विवाद का निस्तारण तहसीलदार बयाना के रिपोर्ट दिनांक 11.09.2019 के अनुसार भी संभव नहीं है। इस आधार पर अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पुनः खारिज कर दिया गया। उपखण्डाधिकारी बयाना के उक्त आदेश दिनांक 31.10.2019 के खिलाफ यह अपील अपीलान्टस के द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं लिहाजा वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि उपखण्डाधिकारी बयाना की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 अदालत हाजा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 12.06.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट की ओर से पूर्व में उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में एल. आर.एक्ट की धारा 131 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि तहसील बयाना के फरसों सर्किल में ग्राम नगला वीछी व ग्राम चक वीरमपुरा की आरजी स्थित है। दौराने बन्दोवस्त कर्मचारियों की सहवन से दोनों गांवों का नक्शा तैयार करते समय रेखाओं में फेरबदल कर कम व ज्यादा रेखायें नक्शा में अंकित कर दी गई है चक वीछी का रकबा हाल नक्शा के मुताबिक 6 जरीब ज्यादा बैठता है और ग्राम चकवीरमपुरा का हाल नक्शा के मुताबिक 6 जरीब कम बैठता है अतः हाल नक्शा पटवार कागजात में दुरूत कर दिया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा निर्णय दिनांक 30.12.2013 को खारिज किये जाने पर अदालत हाजा में उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। जिसको अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 12.06.2015 में अदालत तहत के आदेश को गुणावगुण के आधार पर पारित करना प्रमाणित नहीं होना मानकर निरस्त किया तथा प्रकरण अदालत तहत को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वे तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में इन दोनों ग्रामों की सीमाओं की नियमानुसार सर्वे यन्त्रों से जांच कराया जाकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्यायसंगत आदेश पारित करें। इसके बाबजूद भी अदालत मातहत द्वारा न तो तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट को ही देखा गया और न ही अदालत हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना की गई, वरन् निर्णय दिनांक 31.10.2019 के द्वारा अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र को ही खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 में यह माना है कि नवीन नक्शे पैमाईश कराने व दोनों ग्रामों में विवाद है और विवाद बढना संभव है इसलिऐ प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी बयाना का उपरोक्त अभिमत गलत है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि आखिर पुराने नक्शा ट्रैस सन् 1985 कहां गये, जिन्हें रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं कराकर विवाद को बढाया जा रहा है। पुराना राजस्व रिकार्ड के उपलब्ध ना होने के लिये दोषी व्यक्ति के संबध में कोई विचार नहीं किया गया है। पुराने नक्शा ट्रैस का गायब होना स्वयं यह सिद्ध करता है कि जानबूझकर नवीन बन्दोवस्त में फेरबदल कर सीमाज्ञान को विपरीत रूप प्रभावित करते हुये रैस्पोडेन्ट द्वारा विवाद पैदा किया गया है। लायक तहत अदालत द्वारा अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 12.06.2015 में दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुये अपने पूर्व आदेश को थोपने का प्रयास किया गया है। अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है,

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

क्योंकि एक तरफ तो उक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि दौराने बन्दोवस्त कर्मचारियों की सहवन से दोनों गांवों का नक्शा तैयार करते समय रेखाओं में फेरबदल कर कम व ज्यादा रेखायें नक्शा में अंकित कर दी गई हैं, परन्तु सर्वे यन्त्रों का बहाना बना कर व विवाद बढने की संभावना को व्यक्त करके राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटी को अनदेखा किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है, क्योंकि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स की धारा 369 उपखण्डाधिकारी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करती है। जिसके अनुसार उपखण्डाधिकारी कलक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप से रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उपखण्डाधिकारी भू अभिलेख अधिकारी भी है, जिसके क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा एवं नक्शें राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व है। इस प्रकार का अपीलाधीन आदेश पारित कर उपखण्डाधिकारी का अपने कर्तव्यों व काश्तकारों के हितों की अनदेखी की जा रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध मौका एवं रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2019 निरस्त किया जाकर। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार नक्शे में संशोधन किये जाने का आदेश दिया जावे। ताकि अनावश्यक रूप से दो गांव के बीच में विवाद नहीं हो।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 131, 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हाल नक्शा चक वीरमपुरा व चक बीछी की रेखाएं पूर्व नक्शा सम्वत् 1985 की रेखाओं के मुताबिक दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया था। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार बयाना से प्राप्त हुई रिपोर्ट जिसमें दोनों ग्रामों की भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वे यंत्रों से सीमाओं का अन्तर निकाले जा सकने का उल्लेख किया गया था, को आधार मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 30.12.2013 के द्वारा खारिज किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश किये जाने पर अपील संख्या 21/2014 में अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 12.06.2015 को पारित किया गया। जिसमें उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 को अपास्त कर यह निर्देश दिये गये कि वे तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में दोनों ग्रामों की सीमाओं की नियमानुसार सर्वे यंत्रों से जॉच कराकर पुनः गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्यायसंगत आदेश पारित करें।

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

उक्त आदेश की पालना में उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा भू प्रबन्ध अधिकारी भू प्रबन्ध विभाग भरतपुर व

तहसीलदार बयाना से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उपरोक्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2019 पारित किया है। इसमें यह माना है कि चक बीछी व चक वीरमपुरा के दोनों ग्रामों के मध्य सीमा विवाद बढ़ चुका है। नवीन नक्शे से पैमाइश कराने पर दोनों ग्रामों में विवाद बढ़ना संभव है। पुराने नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति जिला कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराई है और न ही कार्यालय भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर में ही नक्शों की स्केनशुदा साफ्टकॉपी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में दोनों ग्रामों की सीमाओं के विवाद का निस्तारण तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट दिनांक 11.10.2019 के अनुसार भी संभव नहीं होना मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी जो कि भू अभिलेख अधिकारी भी है, का यह दायित्व है कि राजस्व अभिलेख के संदर्भ में किसी भी तरह का कोई विवाद हो तो उसका नियमानुसार निस्तारण करें। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार बयाना द्वारा यह माना गया है कि ग्राम चक बीछी व ग्राम वीरमपुरा के वर्तमान नक्शा व साविक नक्शे से रकबा बरारी किये जाने पर क्षेत्रफल पूरा नहीं बैठता है। इसके अलावा अपीलान्टस की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत की गई एस.वी. सिविल रिट पिटिशन नंबर 7296/2019 में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2019 में अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 3 माह के अन्दर–अन्दर निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं। उपखण्ड अधिकारी बयाना ने जिस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिया है, वह आधार न्यायोचित नहीं है। इसलिए अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2019 को भी उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बयाना की ओर से पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बयाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 21/2014 में पारित निर्णय दिनांक 12.06.2015 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 136 में वर्णित प्रावधान तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड) रूल्स के नियम 369 में वर्णित उपखण्ड अधिकारी के पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर